



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

फाइल संख्या: Ad-20/67/2023-ADMIN

दिनांक : 29/07/2024

**ज्ञापन/Memorandum**

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण ,प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम 2013 के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति का गठन।

Sub: Constitution of Internal Complaints Committee in Connection with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act 2013

इस कार्यालय ज्ञापन 30/11/2023 (संशोधित) के अतिक्रमण में तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण ,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसरण में, जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खंड-I दिनांक 23/4/2023 में प्रकाशित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की रोकथाम और निवारण तथा उससे संबंधित मामलों के लिए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित सदस्यों वाली "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया है:-

In Supersession of this Office Memorandum 30/11/2023 (amended) and in Pursuance to the section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section-I dated 23/4/2023, the Competent Authority has constituted "Internal Complaint Committee" consisting of following members for the prevention and redressal of complaint of Sexual Harassment and for the matters connected there with or incidental thereto with immediate effect:-

क्रम संख्या	नाम (सुश्री/श्रीमती/श्री)	पदनाम और वर्तमान पदस्थापन स्थान	भूमिका
1	डॉ. स्वीटी यादव Dr Sweety Yadav	सहायक निदेशक (राजभाषा), उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम Assistant Director (Official Language), ESIC SRO Gurugram	अध्यक्ष Chairperson
2	डॉ. मानसी मिश्रा Dr Mansi Mishra	प्रमुख अनुसंधान प्रभाग सामाजिक अनुसंधान केंद्र, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली Head Research Division Centre for social Research, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi	बाहरी सदस्य External Member
3	सचिन सिंह Sachin Singh,	उप निदेशक (प्रशासन), उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम Deputy Director (Admn), ESIC SRO Gurugram	सदस्य सचिव Member Secretary

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम/Sub-Regional Office Gurugram

प्लॉट नं. 47, सैक्टर-34, गुरुग्राम, हरियाणा-122 001/Plot No. 47, Sector-34, Gurugram, Haryana – 122 001

Phone No.: 0124-2370270 | E-mail: [sro-gurgaon@esic.nic.in](mailto:sro-gurgaon@esic.nic.in) | Website: [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in)

4	सीमा कपूर Seema Kapoor	कार्यालय अधीक्षक, उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम Office Superintendent, ESIC SRO Gurugram	सदस्य Member
5	पूजा Pooja	कार्यालय अधीक्षक, उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम Office Superintendent, ESIC SRO Gurugram	सदस्य Member

आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य की इस पद पर कार्यकाल की अवधि इस ज्ञापन के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

The presiding officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of issue of this Memorandum.

गैर-सरकारी संगठन के लिए नियुक्त सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क या भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

The member appointed for Non-Governmental Organization shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the internal Committee, by the undersigned, as may be prescribed.

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालयों की कोई भी पीड़ित महिला कर्मचारी, पिछली घटना की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्लॉट संख्या 47, सेक्टर-34, हरियाणा में लिखित रूप में शिकायत समिति बना सकती है।

Any aggrieved women employee of Sub Regional Office, ESI Corporation, Gurugram and Branch offices under its jurisdiction may make, in writing, a complaint committee at Sub Regional Office ESI Corporation, Plot No 47, Sector-34, Gurugram, Haryana within a period of three months from the date of the last incident.

बशर्ते कि जहां ऐसी शिकायतें लिखित रूप में नहीं की जा सकतीं, वहां पीठासीन अधिकारी या आंतरिक शिकायत समिति का कोई भी सदस्य महिला को लिखित रूप में शिकायत करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

Provided the where such complaints cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Complaint Committee shall render all reasonable assistance to the woman for making the Complaint in writing.

इसके अलावा, आंतरिक समिति, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए तीन महीने से अधिक की समय सीमा का विस्तार नहीं कर सकती, यदि यह संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण महिला उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं कर सकी।

Provided further that the Internal Committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were which prevented the woman from filing a complaint within the said period.

जहां पीड़ित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु या अन्य कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसका कानूनी उत्तराधिकारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे निर्धारित किया जा सकता है, शिकायत कर सकता है।

Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, her legal heir or such other person as may be prescribed may make a complain

(सचिन सिंह)/ (Sachin Singh)

उप निदेशक (प्रशासन)/ Deputy Director (Admin)

प्रतिलिपि/ Copy To::

- 1) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1, मुख्यालय, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली।  
Director General, ESIC-1, Hqrs, CIG Marg, New Delhi.
- 2) क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सेक्टर-16, फरीदाबाद।  
Regional Office, ESIC Sector-16, Faridabad
- 3) सभी सदस्य (आंतरिक शिकायत समिति)  
All members (Internal Complaints Committee)
- 4) उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, हरियाणा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी शाखाएँ/शाखा कार्यालय/शाखा अधिकारी/शाखा प्रबंधक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।  
All Branches/Branch Offices/Branch Officers/Branch Managers, ESIC, under jurisdiction of SRO Gurugram, Haryana.
- 5) सचिव एससी/एसटी कर्मचारी संघ हरियाणा।  
Secretary SC/ST Employee Union Haryana.
- 6) वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।  
Website content manager, Hqrs, ESIC, CIG Marg, New Delhi to upload this circular on website.
- 7) आईसीटी शाखा उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।  
ICT Branch SRO Gurugram with a request to upload the same on the ESIC Website
- 8) नोटिस बोर्ड।  
Notice Board.